

शुभ,

स्वागत सुन्दर अभिनवोपरी,  
संपन्न मैत्रिण,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
पुनर्निवेश नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 3 जनवरी, 2001

विषय:- एतद्वारा पश्चिम स्कूल डिफेंस फ्लैट सेवा सारणी रोड, आगरा को सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनुपस्थित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि एतद्वारा पश्चिम स्कूल डिफेंस फ्लैट सेवा सारणी रोड आगरा को सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनुपस्थित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रमाणों के अधीन अनुपस्थित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की संबंधित सौदागरी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय फार दि इन्डियन स्कूल सर्विसेज इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों को संबन्धित प्राप्त होने की सिद्धि से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
- 151 संस्था के अधिक एवं विभिन्नतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जाएंगे ।

*S.S. Ravi*  
Principal

S.S. Public School  
Sewla Sarai Gwalior Road

AGRA

16। कार्यवाहियों की सेवा बतौर बनाई जायेगी और उन्हें तथापिता प्राप्त अमासजीव उद्योग विद्यालयों के कार्यवाहियों के अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निहित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित रूप/विधियों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृद्ध या ग्राह्यता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनायति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। स्वामि सुन्दर जग्गिनोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

पुणे-339।11।15-7-नर्दिका

प्रति सचिव निम्नलिखित को सुचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- प्रमुख संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4- अतिरिक्त भारतीय विद्यालय, उज्जैन, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, रतनगुण पब्लिक डिफेंस जेन सेवा, सराय गवालिपर रोड, आगरा ।
- 6- सचिव बुक ।

आज्ञा से,

। स्वामि सुन्दर जग्गिनोत्री ।  
a संयुक्त सचिव ।

*अनीता देव*  
Principal  
S.S. Public School  
Sewla Sarai Gwalior Road  
AGRA